राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.13(21) वित्त / राजस्व / 76 पार्ट

जयपुर, दिनांक 01 DEC 2021

निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः–राज्य बीमा योजना के अंतर्गत दिनांक 01.04.2020 के ऑनलाईन प्राप्त अधिक जोखिम वहन के संबंध में।

संदर्भः-आपका पत्र क्रमांक एफ. 18 पार्ट-I / बीमा / व्य. एवं प. / 2003–04 / 1477 दिनांक 21.10.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार निवेदन है कि कोरोना संक्रमण एवं लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों एवं पोर्टल पर ओटीपी एवं ई–साईन का प्रावधान तकनीकी कारणों से यथा समय उपलब्ध नहीं होने के कारण दिनांक 01.04.2020 से 01.04.2021 के अधिक कटौती के प्रकरणों में, जिनमें कार्मिक द्वारा अधिक घोषणा पत्र उनकी एसएसओ आई.डी. से ऑनलाईन सबमिट किये गये हैं और जिनमें ओटीपी एवं ई-साईन नहीं हैं, के आधार पर अधिक जोखिम वहन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति बारकोड संख्या 322100428 दिनांक 26.11.2021 द्वारा सक्षम स्तर से प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रदान की जाती है।

भवदीय

(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

निदेशालय,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकःएफ 18 पार्ट–I / बीमा / व्य0एवंप0 / 2003–2004 / 1825-1875 दिनांक 03.12.2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

1. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग समस्त संभागीय कार्यालय
2. अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग मुख्यालय जयपुर।
3. संयुक्त / उप / सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग समस्त जिला कार्यालय।

अतिरिक्त निदेशक (बीमा)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान जयपुर